न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—

वाद पत्र संख्या :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

137 / 2019

1. बृजनन्दन आयु 18 साल आ0 श्री किशनलाल
2. श्रीमति विमलाबाई आयु 52 साल पत्नि श्री किशनलाल जातियान धाकड निवासीयान माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज.

—वादीगण

बनाम

1. किशनलाल आयु 54 साल आ0 श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार केशवराय पाटन।

— प्रतिवादीगण

वाद :— अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री उमा शंकर नागर, एडवोकेट
2. प्रतिवादी सं. 1 की और से श्री महावीर शर्मा, एडवोकेट

—: निर्णय :—

दिनांक — 24.09.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 09.09.2019 को वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नई 41 की कृषि भूमि ख.सं. 841 रकबा 0.01 है0, ख.सं. 931 रकबा 0.65 है0, ख.सं. 1453 / 740 रकबा 0.53 है0, ख.सं. 1485 / 842 रकबा 0.21 है0, ख.सं. 1488 / 842 रकबा 0.15 है0, ख.सं. 1490 / 1401 रकबा 0.93 है0, ख.सं.

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

1524/911 रकबा 1.67 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.15 है0 वाके ग्राम व माल माधोराजपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है। मूल पुरूष हीरालाल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 किशनलाल है तथा वादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र है तथा वादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नि है। वाद पत्र के चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैत्रक कृषि भूमि है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जिसमें वर्तमान समय में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज है। जबकि उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है अर्थात प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से वादीगणों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है कि उक्त आराजी में अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार विभाजन करा लेवे तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में पृथ–पृथक अंकन करा लेवे। उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी सं. 1 के खाते में अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 उक्त वर्णित कृषि भूमि को हस्तानन्तरण, रहन आदि करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी सं. 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगणों को बंटवारा एवं कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक 1/3 हिस्से कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अमल दरामद किया जावे, विकल्प में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को सहखातेदार घोषित किया जावे।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी सहमति का दिनांक 19.09.2019 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. वादी की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 के रूप में बृजनन्दन व पी.डब्ल्यू 2 विमलाबाई का शपथ पत्र पेश किया गया।
5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.09.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। वादी बृजनन्दन आ0 श्री किशनलाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्स एवं कब्जे में खाता सं. 41 की ख.सं. 1490/1401 रकबा 0.93 है0, ख.सं. 1524/911 रकबा 1.67 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.60 है0 वाके ग्राम माधोराजपुरा, वादी सं. 2 विमलाबाई पत्नि श्री किशनलाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्से, कब्जे में खाता सं. 41 की ख.सं. 931 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम माधोराजपुरा, प्रतिवादी सं. 1 किशनलाल आ0 श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्से, कब्जे में खाता सं. 41 ख.सं. 841 रकबा 0.01 है0, ख.सं. 1453/740 रकबा 0.53 है0, 1485/842 रकबा 0.21 है0, ख.सं. 1488/842 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील केश्वरायपाटन जिला बून्दी राज0 रहेगी एवं रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

24/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केश्वरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

बृजनन्दन V/S किशनलाल वगै0

वाद– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :: 137/2019

वादी की ओर से श्री उमाशंकर नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री महावीर शर्मा, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 24.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। वादी बृजनन्दन आ0 श्री किशनलाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्स एवं कब्जे में खाता सं. 41 की ख.सं. 1490/1401 रकबा 0.93 है0, ख.सं. 1524/911 रकबा 1.67 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.60 है0 वाके ग्राम माधोराजपुरा, वादी सं. 2 विमलाबाई पत्नि श्री किशनलाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्से, कब्जे में खाता सं. 41 की ख.सं. 931 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम माधोराजपुरा, प्रतिवादी सं. 1 किशनलाल आ0 श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी माधोराजपुरा के हिस्से, कब्जे में खाता सं. 41 ख.सं. 841 रकबा 0.01 है0, ख.सं. 1453/740 रकबा 0.53 है0, 1485/842 रकबा 0.21 है0, ख.सं. 1488/842 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील केश्वरायपाटन जिला बून्दी राज0 रहेगी एवं रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत ....ग.. .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व ारह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.09.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड.अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner